

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

दिनांक :- 30.06.2014

अधि.सं.-01/स्था.(चालू प्रभार)-10-01/2014-6095 / दिनांक 27.06.2014 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के निम्नलिखित सहायक अभियंता(असैनिक/यांत्रिक) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनके अपने ही वेतनमान में उनके नाम के सामने स्तम्भ-04 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित करते हुए कार्यपालक अभियंता(असैनिक/यांत्रिक) (स्वतन्त्र चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्रम सं.	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री राम कृष्ण कुमार 3441/23.03.62/राँची	सहायक अभियंता पर्यटन विभाग	तकनीकी सलाहकार जलपथ अंचल, राँची	श्री राम नरेश प्रसाद सिंह की सेवानिवृत्ति दि. 30.09.14 के उपरांत प्रभावी (विभागीय अभि.सं. 5894 दि. 09.06.14 में आंशिक संशोधन करते हुए)
2.	श्री अमरेश कुमार 3515/25.07.65/सं.प्र.	सहायक अभियंता बौध एवं गेट रूपांकण अंचल, राँची	कार्यपालक अभियंता योजना आयोजन प्रमंडल सं०-03, राँची	(विभागीय अभि. सं. 5894 दि. 09.06.14 में आंशिक संशोधन करते हुए)
3.	श्री सुनील कुमार जायसवाल 3578/पटना/01.08.58	सहायक अभियंता सिंचाई अवर प्रमंडल सं.-02, जसीडीह शिविर देवघर	उप निदेशक भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमण्डल, हजारीबाग	
4.	श्री नवीन कुमार वर्मा 3656/सहरसा/16.11.60	सहायक अभियंता जलपथ अवर प्रमंडल सं.-02, गढ़वा	कार्यपालक अभियंता गालूडीह दाया नहर प्रमण्डल-1, मुसाबनी शिविर गालूडीह	
5.	श्री आनन्द कुमार 3954/गया/06.01.65	सहायक अभियंता मुख्य अभियंता कार्यालय लघु सिंचाई राँची	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी	
6.	श्री भगीरथ महतो एम 508/राँची/12.10.54	सहायक अभियंता (याँ.)/ बौध एवं गेट रूपांकण अंचल, राँची	कार्यपालक अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-04 (यांत्रिक), राँची	श्री प्रमोद कुमार सिन्हा की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.14 के उपरांत प्रभावी
7.	श्री प्रभात कुमार (अ०जा०) 4404/रोहतास/01.12.67	प्राक्कलन पदाधिकारी मुख्य अभियंता कार्यालय ईचा गालूडीह कम्पलेक्स जमशेदपुर	कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमण्डल सं०-2, चैनपुर	

1	2	3	4	5
8.	श्री विरेन्द्र कुमार (अ०जा०) 4405/नवादा/01.01.69/	सहायक अभियंता जलपथ अवर प्रमण्डल, चन्दवा शिविर मेदिनीनगर	कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू	श्री ब्रह्मा राय की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.14 के उपरांत प्रभावी
9.	श्री चन्द्रशेखर (अ०जा०)/ 4409/बलिया (यू०पी)/ 01.07.66	सहायक अभियंता जलपथ प्रमण्डल विशुनपुर , पाटन	कार्यपालक अभियंता से रूप में सेवा झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निर्माण निगम को	
10.	श्री अमरेन्द्र कुमार(अ०जा०) /4410/औरंगाबाद / 11.01.69	सहायक अभियंता लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल चाईबासा	
11.	श्री फनी भूषण (अ०जा०)/ 4411/राँची/28.11.70	सहायक अभियंता लघु वितरणी अवर प्रमण्डल सं०-3, नरसिंहपुर	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल सरायकेला खरसावां	
12.	श्री संजय कुमार (अ०जा०) /4413/नवादा/ 08.04.68	सहायक अभियंता लघु सिंचाई अनुमंडल बहरागोड़ा	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर	
13.	श्री उमा शंकर राम(अ०जा०) /4415/पलामू/17.02.64	सहायक अभियंता लघु सिंचाई रूपांकण प्रमण्डल, राँची	कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा नगर विकास विभाग को	
14.	श्री मनोज कुमार (अ०जा०) /4417/शेखपुरा/ 26.02.63	सहायक अभियंता सुवर्णरेखा नहर अवर प्रमण्डल सं०-2, चांडिल	कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमण्डल, गुमला	
15.	श्री जितेन्द्र पासवान(अ०जा०) /4421/पटना/01.07.69	सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग	कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा ग्रामीण कार्य विभाग को	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. पूर्णतः कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालक अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई **प्रोन्नति अथवा वित्तीय लाभ** का दावा अनुमान्य नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।

4. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्री प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें कार्यपालक अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी कनीय होंगे उन्हें सहायक अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।

5. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें सहायक अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

6. कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :- 6095

रॉची, दिनांक :- 30.06.2014

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 6095

रॉची, दिनांक :- 30.6.2014.

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीया मंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची/ निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, पटना/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉची/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7बी, 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित सहायक अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 07 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर सहायक अभियंता स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित पदाधिकारियों का माह जुलाई-2014 का वेतन भुगतान नव पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)